न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 244 / 2020 दायर दिनांकः– 22 / 12 / 2020

जीसीएमएस नं0ः–2020 / 1308 निर्णय दिनांकः– 24 / 05 / 2024

वउनवान

1. बनवारीलाल पुत्र स्व0 श्री प्रभातीलाल जाति ब्राहमण
2. मुकेशचन्द पुत्र स्व0 छाजूराम जाति ब्राहमण निवासीयान अखैगढ, तहसील नदबई (भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर
2. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

3. सरवती देवी पत्नी स्व0 प्रभातीलाल जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ
4. कमलचन्द पुत्र प्रभातीलाल जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ
5. रूपचन्द पुत्र प्रभातीलाल जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ
6. पुष्पा पुत्री प्रभातीलाल पत्नी हनुमानप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ हाल सोडिया मोहल्ला बसवा तह0 बसवा जिला दौसा
7. महेशचन्द पुत्र छाजूराम जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ
8. दुलारी पुत्री छाजूराम पत्नी धनश्याम जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ हाल मंगला [illegible] ब्र[illegible]पुरी–जयपुर
9. सावित्री पुत्री छाजूराम प[illegible] विजयकुमार जाति [illegible]हमण निवासी अखैगढ हाल पुराना बया[illegible] बस स्टेण्ड अटल[illegible]रतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:08:21 IST
Reason: SelfAttested

10. मधु शर्मा पुत्री छाजूराम पत्नी सुरेशचन्द ब्राहमण निवासी अखैगढ हालबस स्टेण्ड ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर

11. सुनीता पुत्री छाजूराम पत्नी शंकरलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ हाल अगमा मोहल्ला कांमा तहसील कांमा जिला भरतपुर।

तर0 प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा– 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–1 श्री सुभाषचन्द ''अरूंआ''–अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार, तहसीलदार कठूमर

–:निर्णयः–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 0.20 हैक्ट0 जिसका साबिक खसरा नम्बर 189 रकबा 0.16 बिस्वा ग्राम नगला माधोपुर तहसील कठूमर जिला अलवर में वाके है जो आराजी वादीगण के दादा रघुनाथ के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो विरासत में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 3 ला0 11 को प्राप्त हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में बाई बर्थ यानि जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे तथा अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा विवादित आराजी के काबिज कृषक खातेदार है। वादीगण ने अपने दावा के पेरा सं0 3 में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला0 11 के परिवार का सजरा अंकित किया है तथा कथन किया कि वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ला0 11 श्री रघुनाथ पुत्र गणेशी के वारिसान है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Hinder
Date: 2024.06.11 18:08:21 IST
Reason: SelfAttested

11/3/24

वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण ने श्री रघुनाथ की समस्त जायदाद का तर्का पाया है जिस पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण शामलात में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अमला सैटलमेंण्ट के अधिकारी व कर्मचारियों ने बिना राजस्व रिकार्ड मौके व कब्जे की जांच किये विवादित आराजी को गलत रूप से सिवायचक लगानी बंजड दर्ज कर दिया जबकि अमला सैटलमेंण्ट को बिना किसी साक्षम न्यायालय के आदेश के पूर्व इन्द्राज को बदलने का कोई हक व अधिकार किसी प्रकार का नहीं था। अमला सैटलमेंण्ट को तो पूर्व इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिए था लेकिन अमला सैटलमेंण्ट ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर विवादित आराजी के इन्द्राजात बदलकर सिवायचक लगानी बंजड दर्ज कर दिया जो इन्द्राज वादीगण के हक हकूकों के मुकाबले बातिल व बेअसर करार दिये जाने योग्य है। वादीगण कागजात माल में हो रहे सिवायचक लगानी बंजड के इन्द्राज को निरस्त कराकर खातेदारी प्राप्त करने के मुस्तहक है। गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिया गया नोटिस अवधि समाप्त होने से पूर्व दावा पेश करने के लिये अलग से धारा 80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर अदालत श्रीमान से इजाजत ले ली गई है। अतः वादीगण ने दावा मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.02.2021 को तरतीवी प्रतिवादीगण की ओर से श्री पुष्पेन्द्र चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 1व 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। दिनांक 16.03.2021 को पैरोकार सरकार ने जबाव पेश किया तथा तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला0 11 की ओर से इकबाल जबाव पेश होने पर दिनांक [illegible]22 को तनकीयात कायम की गई। दावे व जबाव दावे के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:08:21 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या:–1 आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 0.20 हैक्ट के 1/2 हिस्से के वादी सं0 1 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ला0 6 व 1/2 हिस्से के वादी सं0 2 तथा तरतीवी प्रतिवादी सं0 7 ला0 11 काबिज कृषक खातेदार है तथा खातेदारी प्राप्त करने के मुस्तहक है

––जिम्मेवादीगण

तनकी संख्या:–2 आया वादीगण प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है –– जिम्मेवादीगण

तनकी संख्या:–3 आया विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज सरकार है वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है

–– जिम्मेप्रतिवादी

तनकी संख्या:–4 अनुतोष

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी डब्ल्यू 1 वादी संख्या 1, पी डब्ल्यू 2 के रूप में गुलाब व पी डब्ल्यू 3 को परीक्षित कराया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी संवत् 2075 से 78 किता 3 प्रदर्श–1, जमाबन्दी संवत् 2028 किता 2 प्रदर्श –2, मिलान क्षेत्रफल किता 2 प्रदर्श –3, जमाबन्दी संवत् 2013 से 2016 प्रदर्श –4, जमाबन्दी संवत् 2009 प्रदर्श –5, खसरा गिरदावरी संवत् 2012 से 13 प्रदर्श –6, खसरा गिरदावरी संवत् 2014 से 2017, प्रदर्श –7, खसरा गिरदावरी संवत् 2019 प्रदर्श –8, खसरा गिरदावरी संवत् 2025 से 27 प्रदर्श –9, खसरा गिरदावरी संवत् 2028–29 प्रदर्श–10, खसरा गिरदावरी संवत् 2023 प्रदर्श–11, खसरा गिरदावरी संवत् 2040 से 2043 प्रदर्श–12 के रूप में प्रदर्शित कराई है तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला0 11 की ओर से दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये इकबाल जवाब पेश कर दावा वादीगण मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.06.11 18:08:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं0 1व 2 की ओर से जबाव पेश किया गया। जबाव दावे में पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर द्वारा कथन किया कि वादीगण ने दावा हाजा में इन्द्राज बदलने का कोई कारण दर्शित नहीं किया है केवल हाल रिकार्ड के मुताबिक सिवायचक सरकार होना दर्ज किया है प्रतिवादीगण ने अपने जबाव दावे के समर्थन में ऐसा कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है।

उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अधार पर तनकी वार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है:–

तनकी संख्या 1व 2– समान प्रकृति की है जिससे दोनों तनकियों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। तनकी संख्या– 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर लिखित बहस पेश हुई है जिसमें वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादीगण द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य से वाद वादीगण साबित है। अतः दावा वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावे। विद्वान पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर ने अपनी बहस के दौरान अपने जबाव दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सिवायचक सरकार दर्ज रिकार्ड है जो मुताबिक मौका कब्जा व साबिक रेवन्यु रेकार्ड के अनुसार सही अंकन है। वादीगण व इनके पूर्वज कभी विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड नहीं रहे। वादीगण का वाद किसी तरह से साबित नहीं है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड प्रदर्श पी–1 से पी–12 व गवाहान के बयानों का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में विवादित आराजी कहीं भी वादीगण [illegible] की खातेदारी में दर्ज नहीं रही। वादीगण यह भी साबित नहीं कर पाये कि विवादित आराजी बाबत बन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियान ने पुराने इन्द्राज बदल कर विवादित आराजी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:08:21 IST
Reason: SelfAttested

सिवायचक दर्ज कर दिया। गवाहों के बयान व तरतीवी प्रतिवादीगण के ईकबाल जबाव से विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। वादीगण को तनकी संख्या 1व 2 को अपने पक्ष में साबित करने के लिये यह साबित करना था कि विवादित आराजी साबिक रेवन्यु रेकार्ड में वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज रही है जिसे बन्दोवस्त विभाग ने मनमाने तरीके से बदलकर सिवायचक सरकार कर दर्ज कर दिया है। जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं है। दोनों तनकियों को वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। वादीगण विवादित आराजी की खातेदारी प्राप्त करने व प्रतिवादीगण को हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। अतः तनकी संख्या 1व 2 विरूद्व वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3– को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। तनकी सं0 1वं 2 के विस्तृत विवेचन से वादीगण विवादित आराजी को अपनी खातेदारी में घोषित कराने के अधिकारी नहीं पाये गये है। हाल राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी सिवायचक सरकार दर्ज है। जिस इन्द्राज को कलमजन करवाकर वादीगण खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 –अनुतोष की है

अतः उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर तीनों तनकियॉ विरूद्व वादीगण निर्णित हुई है। अतः वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:08:21 IST
Reason: SelfAttested

–:आदेश:–

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई बाबत आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 0.20 हेक्ट वाके ग्राम नगला माधोपुर तहसील कठूमर

बाबत साबित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:08:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 244 / 2020 दायर दिनांकः– 22 / 12 / 2020

जीसीएमएस नं0ः–2020 / 1308   निर्णय दिनांकः– 24 / 05 / 2024

वउनवान

1. बनवारीलाल पुत्र स्व0 श्री प्रभातीलाल जाति ब्राहमण
2. मुकेशचन्द पुत्र स्व0 छाजूराम जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ

डिक्रीदारान्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्ट्रर अलवर
2. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर

असलमदयूनान

3. सरवती देवी पत्नी स्व0 प्रभातीलाल जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ
4. कमलचन्द पुत्र प्रभातीलाल जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ
5. रूपचन्द पुत्र प्रभातीलाल जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ
6. पुष्पा पुत्री प्रभातीलाल पत्नी हनुमानप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ हाल सोडिया मोहल्ला बसवा तह0 बसवा जिला दौसा
7. महेशचन्द पुत्र छाजूराम जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ
8. दुलारी पुत्री छाजूराम पत्नी घनश्याम जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ हाल संगला [illegible] [illegible]री–जयपुर
9. सावित्री पुत्री छाजूराम पत्नी विजयकुमार जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ हाल पुराना बयाना बस स्टेण्ड अटलबन्ध–भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 13:08:21 IST
Reason: SelfAttested

10. मधु शर्मा पुत्री छाजूराम पत्नी सुरेशचन्द ब्राहमण निवासी अखैगढ हालबस स्टेण्ड ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर
11. सुनीता पुत्री छाजूराम पत्नी शंकरलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी अखैगढ हाल अगमा मोहल्ला कांमा तहसील कांमा जिला भरतपुर।

तर0 प्रति मदयूनान

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा– 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई बाबत आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 0.20 हेक्ट वाके ग्राम नगला माधोपुर तहसील कठूमर बाबत साबित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 24.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गई।

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:08:21 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/5/24	नि[illegible] (उपस्थित) । तामिल आदेश दिनांक 17/10/24 की पत्रावली में पक्ष की वास्ते [illegible] दिनांक 14/5/24 को पेश हो [illegible] उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
14/5/24	वकील वादी / प्रति वादी उपस्थित। पेशकार उपखण्ड [illegible] - [illegible] की ओर श्री [illegible] ने पेश किया एवं [illegible] पेश की पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/5/24 को पेश हो। [illegible] SDM	
24/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं [illegible] उपस्थित आए। दावा वादीगण [illegible] व हुक्म इम्तनाई दवामी आराजी खसरा नम्बर 81 वाके ग्राम [illegible] माधोपुर साबित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल [illegible] किया गया, तदनुसार डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल हुआ दावा नम्बर से कम हो बाद [illegible] जाता [illegible] जिला [illegible] [illegible] 24/5/24	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:08:21 IST
Reason: SelfAttested